इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 फरवरी 2024—माघ 25, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2024

क्र. 2691-35-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 8 OF 2024

THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2024

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Substitution of certain words throughout the principal Act.

2. Throughout the Madhya Pradesh, Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "Kulapati", or "Kulpati" wherever they occur, the word "Vice-Chancellor" shall be substituted.

Amendment of First Schedule.

3. In the First Schedule to the principal Act, after serial number 8, the following serial number and entires relating thereto shall be added, namely :—

"9. Pandit S. N. Shukla Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2016 (No. 28 of 2016).".

Amendment of Second Schedule.

4. In the Second Schedule to the principal Act,—

(1) in Part I,—

(i) for serial number 5 and entries relating therto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Name of university	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	Awadesh Pratap Singh Vishwavidyalaya, Rewa	Rewe	Rewa, Satna, Sidhi, Singroli Maihar and Mauganj.";

(ii) after serial number 6, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

S. No.	Name of university	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"7.	Pandit Shambhu Nath Shukla Vishwavidyalaya, Shahdol.	Shahdol	Shahdol, Umaria and Anuppur.".

(2) in Part II,—

(i) for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Name of university	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Maharaja Chhatrasal Bundelkhand Vishwavidyalaya, Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur, Tikamgarh, Niwari and Panna.";

(ii) after serial number 2, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

S. No.	Name of university	Headquarters	Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district)
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Rani Awantibai Lodhi Vishwavidyalaya, Sagar	Sagar	Sagar and Damoh.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There functioning under there are 8 affiliating universities and 8 other unitary public universities, the Madhya Pradesh Vishwavidyalay Adhiniyam, 1973 (hereinafter referred to as Adhiniyam, 1973). The objectives and reasons of the proposed amendment to the Adhiniyam, 1973 are as follows-

(1) Shahdol Division is a forest area. The students studying in the colleges here mostly come from rural, hilly or forested areas. The distance of Awadhesh Pratap Singh Vishwavidyalay, Rewa from some areas of this Division is up to 300 kilometres, due to which students are facing extreme difficulties in access to the university. It is necessary to increase the source of income of the Vishwavidyalay. If colleges of the Shahdol Division are affiliated to the Pandit Shambhunath Shukla Vishwavidyalay, Shahdol, then the income of the Vishwavidyalay shall increase. Therefore, by repealing the present act of Pandit Shambhunath Shukla Vishwavidyalay, Shahdol, this University has been brought under the Adhiniyam, 1973 and the districts of Shahdol division- Anuppur, Umaria, Shahdol have been included in its jurisdiction.

(2) Dr. Harisingh Gaur Vishwavidyalay, Sagar, the State University located in Sagar, was converted into a Central University in the year 2009. The number of students admitted to the Central University was limited, as a result of which the number of students admitted in the two government colleges located at the Divisional headquarters has increased to more than twenty thousand and the students from the poor class are being deprived of higher and quality education. A total of 06 districts namely Sagar, Chhatarpur, Damoh, Panna, Tikamgarh and Niwadi are located under the Sagar Division. At present, all the Government and private colleges located in the said districts are affiliated with Maharaja Chhatrasal Bundelkhand Vishwavidyalay, Chhatarpur. The distance of Maharaja Chhatrasal Bundelkhand Vishwavidyalay, Chhatarpur is about 165 km from Sagar. Due to this reason, students and staff are facing inconvenience in examinations, academic and other administrative works related to the university. Therefore, to provide quality education to the students of Bundelkhand region and provide facilities to the students in examinations, extra-academic activities and other university-related works, it is proposed to establish "Rani Avantibai Lodhi Vishwavidyalay, Sagar" in Sagar.

(3) In the 100th meeting of the University Coordination Committee held under the Chairmanship of the Honorable Governor, it has been recommended to change the designation of "Kulapati" to "Kulguru". In the sequel for the word "Kulapati", in the English version of the Adhiniyam, 1973 to the word "Vice-Chancellor" and in the hindi version of the Adhiniyam, 1973 for the word "Kulpati", the word "Kulguru" is to be substituted.

2. Therefore, to cancel the Pandit S.N. Shukla Vishwavidyalay Adhiniyam, 2016 and bring Pandit Shambhunath Shukla Vishwavidyalay, Shahdol under Adhiniyam, 1973, for establishing a new university at Sagar and changing the designation of "kulapati" as mentioned above in English and Hindi versions to the Adhiniyam, 1973.

3. Hence this Bill.

BHOPAL:

DATED THE 9th FEBRUARY, 2024.

INDER SINGH PARMAR
Member-In-Charge

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी 2024—माघ 24, शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2024

क्र. 2571-मप्रविस-16-विधान-2024.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) जो विधान सभा में दिनांक 13 फरवरी 2024 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मूल अधिनियम में सर्वत्र कतिपय शब्दों का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में सर्वत्र, शब्द ''कुलापति'' या ''कुलपति'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द ''कुलगुरू'' स्थापित किए जाएं.

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में , अनुक्रमांक ८ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

''९. पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (क्रमांक २८ सन् २०१६).''.

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,—

(१) भाग एक में,—

(एक) अनुक्रमांक ५ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
''५.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर तथा मऊगंज.'';

(दो) अनुक्रमांक ६ के पश्चात् , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
''७.	पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल	शहडोल	शहडोल, उमरिया और अनूपपुर.''.

(२) भाग दो में,—

(एक) अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"१.	महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना.";

(दो) अनुक्रमांक २ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(१)	(२)	(३)	(४)
"३.	रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर	सागर	सागर और दमोह.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम, १९७३ के नाम से निर्दिष्ट है) के अधीन ८ संबद्ध विश्वविद्यालय तथा ८ अन्य एकात्मक लोक विश्वविद्यालय कार्यशील हैं. अधिनियम १९७३ के प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्य और कारण निम्नानुसार हैं :—

(१) शहडोल संभाग एक वन क्षेत्र है. यहां के महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी प्राय: ग्रामीण, पहाड़ी अथवा जंगली इलाकों से आते हैं. इस संभाग के कुछ इलाकों से अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की दूरी ३०० किलोमीटर तक की है, जिसके कारण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय पहुंचने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, विश्वविद्यालय की आय के स्त्रोत को बढ़ाना आवश्यक है. यदि शहडोल संभाग के महाविद्यालयों को पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल से सम्बद्ध किया जाता है तो विश्वविद्यालय की आय में वृद्धि होगी. अत: पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल के वर्तमान अधिनियम को निरसित करते हुए इस विश्वविद्यालय को अधिनियम, १९७३ के अंतर्गत लाया गया है और शहडोल संभाग के जिलों-अनूपपुर, उमरिया, शहडोल को इसके क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया गया है.

(२) सागर में अवस्थित राज्य के विश्वविद्यालय डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर को वर्ष २००९ में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया. केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या सीमित कर दी गई थी, जिसके फलस्वरूप संभागीय मुख्यालयों पर अवस्थित दो शासकीय महाद्यिालयों में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या बीस हजार से अधिक हो गई है तथा निर्धन वर्ग के विद्यार्थी को उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है. सागर संभाग अंतर्गत कुल ०६ जिले यथा सागर, छतपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी अवस्थित हैं. वर्तमान में उक्त जिलों में अवस्थित समस्त शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालय महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर से संबद्ध हैं. महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर की सागर से दूरी लगभग १६५ कि.मी. है, इस कारण से विद्यार्थी एवं कर्मचारिवृंद को विश्वविद्यालय से संबंधित परीक्षाओं, शैक्षणिक एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. अत: बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा विद्यार्थियों को परीक्षाओं, शैक्षणेत्तर गतिविधियों एवं अन्य विश्वविद्यालय संबंधी कार्यों में सुविधा प्रदान करने के लिए सागर में "रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर" स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

(३) माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की १००वीं बैठक में ''कुलपति'' के पदनाम को परिवर्तित कर ''कुलगुरू'' किए जाने की अनुशंसा की गई है. इसी अनुक्रम में अधिनियम, १९७३ के अंग्रेजी संस्करण में शब्द ''कुलपति'' के स्थान पर, शब्द ''वाइस चांसलर'' और अधिनियम, १९७३ के हिन्दी संस्करण में शब्द ''कुलपति'' के स्थान पर ''कुलगुरू'' स्थापित किया जाना है.

२. अतएव, अधिनियम, १९७३ के अधीन पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ को निरसित करने तथा पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल को लाने, सागर में एक नवीन विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा उपरोक्तानुसार अधिनियम, १९७३ के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण में ''कुलपति'' के पदनाम में परिवर्तन करने हेतु यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : ९ फरवरी, २०२४.

इन्दर सिंह परमार
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-२०२४ के द्वारा स्थापित की जाने वाले रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर के लिए पदों के सृजन एवं अन्य वित्तीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही वित्त विभाग की सहमति से पृथक से की जाएगी. इस हेतु अनुमानित आवर्ती व्ययभार राशि रुपये २०/- करोड़ प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्ययभार राशि रुपये १५०/- करोड़ संभावित है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.